(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 191/2021

राजेन्द्र प्रसाद मीणा पुत्र महाबीर, जाति मीणा, निवासी किढवाना, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 191/2021 पर दिनांक 13.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3013–14 दिनांक 13.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक पाठक/2021/198 दिनांक 24.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना न चाहकर प्रश्नात्मक/जिज्ञासा/समाधान से संबंधित जानकारी चाही गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) एवं (झ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नही होने के कारण देय नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को सूचना दी गई कि ग्राम किढवाना के ख0न0 628, 649, 650 मे अतिकमण की कोई रिपोर्ट कार्यालय मे दर्ज नही हुई है। जो सूचना कार्यालय मे उपलब्ध है प्रार्थी को दे दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम मे नई सूचना तैयार कर देने का प्रावधान नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक पाठक/2021/198 दिनांक 24.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना न चाहकर प्रश्नात्मक/जिज्ञासा/समाधान से संबंधित जानकारी चाही गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) एवं (झ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नही होने के कारण देय नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी को सूचना दी गई कि ग्राम किढवाना के ख0न0 628, 649, 650 मे अतिकमण की कोई रिपोर्ट कार्यालय मे दर्ज नही हुई है। जो सूचना कार्यालय मे उपलब्ध है प्रार्थी को दे दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम मे नई सूचना तैयार कर देने का प्रावधान नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं